

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में

विशेष अपीलीय क्षेत्राधिकार

विशेष अनुमति याचिका

X

याची/याचीगण

बनाम

राजस्थान सरकार व अन्य

प्रतिवादीगण

हेडनोट्स

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 438 - गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति को जमानत प्रदान करना - बलात्कार के मामले में आरोपी को उच्च न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया, जबकि केवल एक गवाह की जांच की गई थी और पीड़िता और मां जो घटना की प्रत्यक्षदर्शी थी, की अभी तक जांच नहीं की गई थी - **अभिनिर्धारित:** - ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय ने धारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज पीड़िता के बयान की तुलना में एफआईआर में कुछ विसंगतियों पर गौर किया है। - बलात्कार जैसे गंभीर अपराध में आरोपी के पक्ष में विवेक का प्रयोग करने के लिए यह अच्छा आधार नहीं हो सकता था। - इस समय, उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश में कोई बदलाव नहीं किया गया है, हालांकि, उचित शर्तें लगाई गई हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरोपी और सह-आरोपी अभियोजन पक्ष के गवाहों को प्रभावित न करें या किसी भी तरह से सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश न करें। - चूंकि पीड़िता और उसकी मां और दोनों आरोपी एक ही गांव में रहते हैं, इसलिए आरोपी को निर्देश दिया जाता है कि वह मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक उक्त गांव में प्रवेश न करे।

आदेश

1. यह याचिका राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की एकलपीठ आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र क्रमांक 1351/2024 में दिनांक 12/02/24 को पारित विवादास्पद निर्णय के विरुद्ध जो यहां प्रतिवादी सं. 2. (वास्तविक आरोपी) द्वारा प्रस्तुत की गई। जिसमें प्रतिवादी सं. 2 के पत्र में स्वीकृत किया गया और उसे विचाराधीन अन्वीक्षा में जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया।

2. अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री द्वारा यह प्रतीत होता है कि दिनांक 18/9/23 को याची जो यहा है, द्वारा अयाची सं. 2 जो यहां है एवं सहअभियुक्त के विरुद्ध एक प्रथम सूचना प्रतिवेदन अपराध अन्तर्गत मा.द.स. जो कि धारा 376ड एवं धारा 342 में दण्डनीय है, में दर्ज की गई। प्र.सू. प्रतिवेदन सं 83/23 पुलिस थाना नाचना, जिला जैसलमेर राजस्थान में प्रस्तुत की गई।
3. अयाची सं. 2 और सह अभियुक्त को तथाकथित अपराध के संबंध में गिरफ्तार किया गया। लंबे समय पहले ही सहअभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया।
4. ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन के दर्ज होने के बाद दण्ड प्र.स. 1973 की धारा 164 के अन्तर्गत दण्डाधिकारी के समक्ष पीडित जो कि यहां याची है, के बयान अभिलेख पर लिये गये।
5. अनुसंधान निष्कर्ष स्वरूप आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।
6. आपराधिक प्रकरण को सत्र न्यायालय में प्रतिबद्ध किया जाकर सत्र प्रकरण सं. 53/23 में दर्ज किया गया, जो आज दिनांक तक अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, पोरण (जैसलमेर) में विचाराधीन हैं।
7. अभियोजन द्वारा अभी तक एक गवाह का परीक्षण किया गया है।
8. विचारण न्यायालय के समक्ष विचारण के मध्य जो अयाची स 2 है, के द्वारा एक जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने से इनकार किया गया।
9. अभियुक्त उच्च न्यायालय के समक्ष गया और जमानत के लिए प्रार्थना की।
10. प्रथम सूचना प्रतिवेदन के तथ्य और उच्च न्यायालय ने प्रथम सूचना प्रतिवेदन और सहिता की धारा 164 के अन्तर्गत दर्ज हुए पीडित के बयान में निर्गत कुछ विसंगतियों को उच्च न्यायालय में विचार में लिया। उच्च न्यायालय को वहा अयाची सं. 2 को जमानत पर रिहा करने के लिए प्रेरित किया गया।
11. प्रथम सूचना प्रतिवेदन और सहिता की धारा 164 के अन्तर्गत दर्ज बयान में विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश का कार्यकारी भाग इस प्रकार से हैं।

पैरा 9 तदनुसार धारा 439 द.प्र. सहिता के तहत यह जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है और यह आदेश दिया जाता है कि आरोपी याविकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाए बशर्ते वह पचास हजार रुपये के व्यक्तिगत बॉड और 25,000 रु के दो जमानती को विद्वान विधारण व्यायालय की संतुष्टि हेतु प्रस्तुत कर ताकि संबंधित अदालत के समक्ष सुनवाई की सभी तारीखों पर जब भी तलब किया जाये, अपनी उपस्थिति दर्ज कर सके।

12. उपरोक्त परिस्थितियों में पीडित जो कि याची है, हमारे समक्ष इस याचिका के साथ उप. हुई है।
13. हमने याची की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना। यद्यपि अयाची सं. 2 को इस न्यायालय द्वारा जारी सूचना तामिल करवा दी गई थी फिर उसने या तो अधिवक्ता के मार्फत या व्यक्तिगतरूप से उपस्थित न होने का चुनाव किया।
14. साधारणतया बलात्संग, हत्या डकैती और भी गंभीर अपराध में एक बार विचारण आरम्भ हो जाता है और अभियोजन गवाहों की परीक्षण करना शुरू कर देते हैं। चाहे वो विचारण न्यायालय में हो या उच्च न्यायालय, उन्हें अभियुक्त जमानत याचिका की स्वीकार करने में अनिच्छुक होना चाहिए।
15. समय के साथ हमने दो बातें ध्यान में लायी हैं कि
(i) या तो आरोप होने के बाद और विचारण न्यायालय में पीडित के अभियोजन द्वारा परीक्षण हो उससे ठीक पहले जमानत याचिका स्वीकृत होती हैं।
या (ii) जमानत तब दी जाती हैं जब पीडित के मौखिक साक्ष्य को अभिलेखबद्ध किया जाता है जिसमें कुछ विसंगतियां देखी जाती हैं और इस तरह पीडित की विश्वसनीयता की परख होती हैं।
16. हमारा अवलोकन है कि उक्त कथित सही पद्धति नहीं है कि जिसे नीचे स्तर के न्यायालय को अपनाना चाहिए। एक बार जब विचारण आरम्भ हो जाता है उसे अपने अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप या तो आरोपी को सजा हो सकती है या आरोपी बरी हो सकता है। जिस क्षण उच्च न्यायालय अभियुक्त के पक्ष में अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करता है और पीडित के बयान को देखते हुए आरोपी की जमानत पर रिहा करने का आदेश देता है तो, पीडित के मौखिक साक्ष्य के मूल्यांकन करने की बात आती है तो लंबित वाद पर इसका अपना प्रभाव पड़ेगा। मात्र उसी अवसर पर ही जब यदि विचारण अनुचित रूप से विलंबित हो जाता है और वो भी अभियुक्त के गलती के लिए नहीं हो, तो न्यायालय अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने के आदेश के लिए उचित हो सकती है कि इसमें अभियुक्त के विचारण का शीघ्र निष्पादन का अधिकार का उल्लंघन हुआ है।
17. हस्तगत प्रकरण में, पीडित का परीक्षण अभी तक नहीं किया गया है, उसकी माता जो अभियोजन के मामले के अनुसार एक प्रत्यक्ष दर्शी गवाह है, को भी अभी तक परीक्षण नहीं किया गया है। उच्च न्यायालय ने प्रथम सूचना प्रतिवेदन में कुछ विसंगतियों को देखा है जो कि धारा 164 के अन्तर्गत दर्ज पीडित के बयान नकी तुलना में है। यह बलात्कार जैसे गंभीर अपराध में अभियुक्त के पक्ष में विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए एक अच्छा आधार नहीं हो सकता था।
18. हालांकि हमारा यह विचार है कि अब इस वक्त, हमें उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में व्यवधान नहीं डालना चाहिए। साथ ही, हमें उचित शर्तें अध्यारोपित करनी चाहिए ताकि अयाची सं. 2 जो यहां है और सह अभियुक्त अभियोजन गवाहों को प्रभावित न करे या किसी भी प्रकार से साक्ष्य के साथ दखलअंदाजी न करें। आरोपी को जमानत रिहा करते समय भी उच्च

न्यायालय को इस तथ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए था। उच्च न्यायालय ने केवल अयाची सं. 2 जो यहां है अभियुक्त से बिना किसी उचित शर्त लगाए सिर्फ 50.000 मूल्य (पच्चास हजार रु.) की राशि के विलायक जमानती प्रदान करने के लिए कहा।

19. हम आश्चर्यचकित हैं कि उच्च न्यायालय को तथ्य की जानकारी थी पीडित और उसकी माता के साथ दोनों अभियुक्तगण भी एक ही गांव, मगरीया की ढाणी, सत्याया, जिला जैसलमेर, राज, में रहते हैं।

20. ऐसी परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय द्वारा पारित जमानत के आदेश को बिना बाधित किये, हम यह निर्देश देते हैं, जो यहां अयाची सं. 2 है वह जब तक प्रकरण का विचारण पूर्ण नहीं हो जाता, वह उक्त गांव में प्रवेश नहीं करेगा। जैसा हमने कहा है कि अभियुक्त जो यहां अयाची सं. 2 है उक्त गांव में प्रवेश नहीं करता, यह अपने नये निवास स्थान का पता संबंधित पुलिस थाना के अनुसंधान अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। अयाची सं 2 अभियोजन के गवाहों को किसी भी प्रकार प्रभावित करने का प्रयत्न नहीं करेगा और न ही पीडित और उसके परिवार से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संपर्क करने का प्रयत्न करेगा।

21. उल्लेखित अपराध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, यह उपयुक्त होगा कि विचारण न्यायालय इस सत्र मुकदमा सं. 53/2023 को कुछ प्राथमिकता देता है और इसे आज से तीन माह के भीतर के समय में निपटारा करने का प्रयत्न करें।

22. हम स्पष्ट करते हैं हमारे द्वारा इस आदेश में जो निरीक्षित किया गया है वो महज प्रथम दृष्टया निरीक्षण है एवम इन्हे आरोपी के अपराध या निर्दोषता के बारे में किसी अंतिम राय की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं समझा जावे।

23. यह विशिष्ट अनुमति याचिका उपर्युक्त शर्तों पर निस्तारित की जाती है।

24. लम्बित आवेदन, यदि कोई है तो वे भी निस्तारित माने जाते हैं।

.....न्यायाधीश
(जे. बी. पारदीवाला)

.....न्यायाधीश
(आर. महादेवन)

नई दिल्ली;

27 नवम्बर, 2024